


“मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021”

राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास, कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/ आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 10 सितम्बर 2021 को प्रकाशित “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021” स्थापित किया गया है।

कार्यालय के पत्र क्रमांक 5272/सं.पु./संस्कृति/21 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021” हेतु प्रविष्टियां/आवश्यक दस्तावेज की वांछित जानकारी प्रारूप अनुसार पंजीकृत डॉक के माध्यम से विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2022 तक आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु पत्र जारी किया गया था, किंतु वर्तमान में कोविड-19 के दिशा-निर्देश के कारण तिथि में वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 की गई है। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।


संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व